छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग

सिंचाई कालोनी, शांति नगर, रायपुर– 490021
दूरभाषः 0771–4073568, फैक्सः 4073553
वेबसाइट www.cserc.gov.in, ईमेल: cserc.sec.cg@nic.in

याचिका क्रमांक 40 ऑफ 2026

विषयः – अभ्यावेदन वित्तीय वर्ष 2024–25 के अंत में 31.03.2025 को अप्रयुक्त/अतिरिक्त जमा ऊर्जा (बैंकिग एनर्जी) के संबंध में छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (ग्रीड इंटरएक्टिव वितरित नवीनीकरण ऊर्जा स्त्रोत) विनियम 2021 के कंडिका 21.7 में छुट तथा विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 86(1)(F) के तहत छुट और DRE (Distributed Renewable Energy) Regulations 2019 की कंडिका 29 के अंतर्गत आदेश क्रमांक 35 ऑफ 2024 के अंतर्गत प्रस्तुत।

मेसर्स– अग्रवाल स्पंज प्रा.लि.
द्वारा– डायरेक्टर, पता– 91–92
इंडस्ट्रीयल ग्रोथ सेटर फेस–2,
सीएसआईडीसी सिलतरा रायपुर (छ.ग.) ... आवेदक/याचिकाकर्ता

विरूद्ध

1. छ0ग0 राज्य विद्युत वितरण कंपनी मर्या.
   डंगनिया, रायपुर (छ.ग.)
2. छ0ग0 राज्य विद्युत पारेषण कंपनी मर्या.
   डंगनिया, रायपुर (छ.ग.) ... अनावेदकगण

पीठासीन : **विवेक गनोदवाले, सदस्य (विधि)**
अजय कुमार सिंह, सदस्य (तकनीकी)

उपस्थिति : **आवेदक की ओर से श्री मोहन एंटी उपस्थित।**

अनावेदक क्रमांक 1 की ओर से श्रीमती अल्का यादव, कार्यपालन अभियंता
अनावेदक क्रमांक 2 की ओर से श्री. वी.जी.एक्का, अधीक्षण अभियंता

आदेश
(03 जुलाई, 2026)

आवेदक मेसर्स अग्रवाल स्पंज प्राईवेट लिमिटेड, एक कैप्टीव उपभोक्ता है जिसका लोड 900 के.व्ही.ए. है, तथा विद्युत उपभोक्ता क्रमांक 1000477 है। आवेदक द्वारा यह याचिका उनके ग्राम–ठंडार, तहसील–गंडई, जिला–खैरागढ छुईखदान गंडई में स्थापित

2.84 मेगावॉट(एसी) क्षमता के सौर ऊर्जा संयंत्र उत्पादित विद्युत के सेटलमेंट के संबंध में प्रस्तुत की गयी है।

2. आवेदक के अनुसार अनावेदक क्रमांक 1 के पत्र दिनांक 26.07.2024 के द्वारा स्वीकृत ग्रिड कनेक्टिविटी के आधार पर आवेदक का उक्त सौर ऊर्जा संयंत्र अनावेदकगण के ग्रिड से जुडा हुआ है एवं उपरोक्त सौर ऊर्जा संयंत्र का सिक्रोनाईजेशन दिनांक 05.12. 2024 को अनावेदकगण द्वारा किया गया था। तत्संबंध में आवेदक द्वारा इस आयोग के समक्ष एक याचिका क्रमांक 58 ऑफ 2024 से डेडिकेटेड फीडर की छुट हेतु याचिका दिनांक 14.08.2024 को प्रस्तुत की गयी थी, जिसका निराकरण दिनांक 18.03.2025 को आयोग द्वारा किया गया एवं उक्त आदेश के उपरांत आवेदक के सौर ऊर्जा संयंत्र परिसर में दिनांक 26.03.2025 को ABT Meter की स्थापना की गयी , साथ ही साथ आवेदक को अनावेदक क्रमांक 2 द्वारा दिनांक 02.05.2025 से LTOA (Long Term Open Access) की अनुमति प्रदान की गयी है।

3. आवेदक का यह कथन है कि आवेदक द्वारा आयोग के समक्ष डेडिकेटेड फीडर की छूट हेतु याचिका क्रमांक 58 ऑफ 2024 दिनांक 14.08.2024 को प्रस्तुत की गई थी। उक्त याचिका का निराकरण आयोग के समक्ष विभिन्न कारणों से लगभग 07 माह तक विचाराधीन रहने के उपरांत किया गया। इसके परिणामस्वरूप आवेदक के सोलर संयंत्र के सिक्रोनाईजेशन दिनांक 05.12.2024 से लेकर ABT Meter के स्थापना दिनांक 26.03.2025 तक अनुमानित 2002200 Units ग्रिड में इंजेक्शन का समायोजन नहीं किया गया, जिसके कारण आवेदक को दोहरी आर्थिक हानि हुई है।

4. आवेदक ने CSERC(Grid Interactive Distributed Renewable Energy Sources) Regulations, 2019 (In Short DRE Regulations 2019) के मूल विनियमों का उल्लेख करते हुये विनियम 21.7 के अंतर्गत यह तर्क प्रस्तुत किया है कि उक्त सौर ऊर्जा संयंत्र कं सिक्रोनाईजेशन तिथि से ओपन एक्सेस अनुमोदन तिथि तक इन्जेक्ट की गयी ऊर्जा को Deemed Banking में जमा माना जाता है, तथा सिक्रोनाईजेशन तिथि को ही COD माना जाता है जिसके अनुसार कुल उत्पादित 2002200 युनिट जो कि आवेदक द्वारा ग्रीड में डाली जा चुकी है

एवं समायोजन हेतु शेष है को Banked units माना जाना चाहिए था, एवं भविष्य की विद्युत देयको में इसका समयोजन किया जाना चाहिए था परंतु अनावेदकगण द्वारा ऐसा न किये जाने के कारण आवेदक को अत्यंत नुकसान हुआ है।

5. उपरोक्त तथ्यों के उल्लेख के पश्चात आवेदक द्वारा निम्न अनुतोष मांगते हुये यह अनुरोध किया गया है कि सिंक्रोनाईजेशन दिनांक 05.12.2024 से ABT Meter स्थापना दिनांक 26.03.2025 तक की ग्रिड में प्रविष्ट 2002200 Units को Deemed Banking Units माना जाए तथा उक्त units का समायोजन किया जाए साथ ही साथ आवेदक ने यह भी अनुरोध किया है कि समायोजन उपरांत यदि कोई unit शेष बचती है तो उसकी राशि बैंक के प्रचलित ब्याज दर सहित आवेदक को प्रदान की जाए।

6. अनावेदक क्रमांक 01 वितरण कंपनी द्वारा आवेदक के कथनो का खंडन करते हुए यह प्रतिउत्तर प्रस्तुत किया गया है कि Grid Interactive Distributed Renewable Energy Regulation, 2019 के खंड 21(vi) के अनुसार, प्रत्येक त्रैमासिक बैंकिंग चक्र के अंत में अप्रयुक्त या अतिरिक्त संग्रहित ऊर्जा समाप्त हो जाती है। इस प्रकार समाप्त हुई इकाइयों को बाद के बिलिंग चक्रों में समायोजन के लिए आगे नहीं ले जाया जा सकता एवं आयोग के याचिका क्रमांक 35 ऑफ 2024 के अंतर्गत आदेश दिनांक 26.06.2024 में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि उपभोक्ता के निकासी बिंदु पर ABT meter लगाना Banking द्वारा गई जमा की गई ऊर्जा के निपटान के लिए अनिवार्य है। वर्तमान मामले में, ABT meter 26.03.2025 को ही लगाया गया था, इसलिए, ABT meter लगाने से पहले डाली गई ऊर्जा को अनुमानित बैंकिंग समायोजन के लिए नहीं माना जा सकता।

7. अनावेदक क्रमांक 2 का यह कथन है कि पारेषण कंपनी द्वारा बिना किसी विलंब के नियमानुसार दिनांक 25.04.2025 को ही आवेदक को LTOA (Long Term Open Access) की अनुमति प्रदान कर दी गई थी एवं छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (संयोजकता और राज्यांतरिक सुगम्यता) विनियम, 2011 के तालिका–2 में निर्दिष्ट नियमावली और वैधानिक प्रवधानों का पूर्णतः पालन करते हुए याचिकाकर्ता मेसर्स अग्रवाल स्पंज प्राईवेट लिमिटेड के LTOA आवेदन का समय पर निराकरण कर दिया गया।

8. प्रकरण में सुनवाई के दौरान आवेदक द्वारा यह भी तर्क किया गया है कि उपरोक्त डेडिकेटेड फिडर की छूट हेतु याचिका 58 ऑफ 2024 के निराकरण के दौरान अनावेदकगण ने तकनीकी साध्यता रिपोर्ट जमा करने में अत्यधिक विलंब किया, जिसके कारण आवेदक के सौर ऊर्जा संयन्त्र के द्वारा इंजेक्ट की गयी Units का समायोजन नहीं किये जाने से आवेदक को भारी नुकसान हुआ है।

9. प्रकरण के तथ्य बिंदुओ पर विचारण एवं निर्णयः–

(i) आवेदक द्वारा यह प्रकरण CSERC(Grid Interactive Distributed Renewable Energy Sources) Regulations, 2019 (In Short DRE Regulations, 2019) के विनियम 21.7 जो कि Unutilized Banked Units के संबंध में व्याख्या करता है, उसमें प्राप्त छुट के अंतर्गत प्रस्तुत किया गया है। साथ ही साथ DRE Regulations, 2019 के संबंध में न केवल आवेदक अपितु वितरण कंपनी द्वारा भी अपने अभिवचन में गलत अभ्यावेदन प्रस्तुत किया है।

(ii) उल्लेखनीय है कि उपरोक्त DRE Regulations 2019 के मूल विनियम का संशोधन किया गया है, जिसके उपरांत उक्त विनियम 21.7 उन सभी सौर ऊर्जा संयन्त्र जिनका कमर्शियल ऑपरेशन दिनांक 27.12.2023 के बाद हुआ है उनके Unutilized Banked Energy के Treatment के संबंध में विनियमन CSERC(Grid Interactive Distributed Renewable Energy Sources) (Second Amendment) Regulations, 2023 के विनियम 21.6 (vi) के अतंर्गत विस्तार में व्याख्या करता है। विनियम 21.6 (vi) यह कहता है किः–

> *"The unutilized banked energy/surplus energy, if any, at the end of each banking cycle shall be considered lapsed and energy generating station shall be entitled to get renewable energy certificates to the extent of lapsed energy".*

(iii) उक्त विनियम 21.6 (vi) से यह स्पष्ट करता है कि, हर एक बैंकिग चक्र के अंत में यदि कोई अप्रयुक्त banked Energy या अधिशेष बचती है तो उसे Lapsed

माना जायेगा। यहाँ Generating Station को उन Lapsed Energy के हद तक Renewable Energy Certificates प्राप्त करने का अधिकार प्रदान किया गया है।

(iv) संशोधित विनियमों से यह भी स्पष्ट है कि वितरण कंपनी द्वारा भी अपने प्रतिउत्तर में विनियम, 2019 तथा उसके पश्चात किए गए संशोधनों में उल्लिखित प्रावधानों का असंगत एवं त्रुटिपूर्ण संयोजन कर भ्रामक अभ्यावेदन प्रस्तुत किया गया है। वितरण कंपनी ने यह त्रुटिपूर्ण कथन किया है कि DRE Regulations 2019 के खंड 21(vi) के अंतर्गत आवेदक द्वारा ग्रिड में प्रविष्ट ऊर्जा को बिलिंग चक्रों में समायोजन हेतु अपात्र बताया गया है। यहां विनयम की कंडिका 2019 के मूल विनियम का उपयोग करते हुए 2023 के संशोधित विनियम की व्याख्या को भ्रामक रूप से जोड़ा गया है, जो कि असंगति पूर्ण है।

(v) उपर्युक्त वर्णित बैंकिंग चक्र (Banking Cycle) को सम्यक् रूप से समझने हेतु याचिका क्रमांक 35/2024 में इस आयोग द्वारा पारित आदेश दिनांक 26.06.2024 में भविष्य में स्थापित होने वाले IDRES Projects के संबंध में प्रतिपादित कार्य–विधियों (Modalities) का अवलोकन किया जाना आवश्यक है। उक्त आदेश, CSERC (Grid Interactive Distributed Renewable Energy Sources) Regulation 2019 (संक्षेप में DRE Regulations, 2019) तथा उनमें समय–समय पर किए गए संशोधनों के अंतर्गत उत्पन्न व्यावहारिक कठिनाइयों के निराकरण हेतु आयोग को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भविष्य में स्थापित होने वाले IDRES Projects के लिए बैंकिंग, अकाउंटिंग, सेटलमेंट एवं व्हीलिंग संबंधी कार्य–विधियों (Modalities) का निर्धारण एवं स्पष्टीकरण करता है। आदेश दिनांक 26.06.2024 का उद्देश्य उक्त Modalities का प्रभावी क्रियान्वयन एवं अनुपालन सुनिश्चित करना है, ताकि आवश्यक औपचारिकताओं की पूर्ति तथा समस्त अनुमतियाँ प्राप्त होने के उपरांत ऐसे प्रकल्प सुचारु रूप से संचालित हो

सकें। इसी उद्देश्य से आदेश में Banking Cycle, or Banked Energy के समायोजन के संबंध में निम्नलिखित प्रावधान किए गए हैं:–

> "*Banked energy in a particular month shall be permitted to be carried forward to subsequent month within the quarter if such quantum of banked energy is at least 30% of total monthly consumption from the licensee. There would be four quarter in each banking cycle i.e., Apr to Jun will be quarter-1, July – Sep will be quarter-2 and so on. If, energy equivalent to less than 30% of total monthly consumption from the licensee is not banked then entire energy is lapsed for that particular month and cannot be redeemed or carried forward to next month of the same quarter. Unutilized/surplus banked energy at the end of the each quarter shall be lapsed i.e., it will be considered as distribution licensee's energy. However, solar generator is entitled to get renewable energy certificates (RECs) for such lapsed energy at end of each quarter.*".

(vi) इस प्रकरण के उचित निराकरण हेतु इस तथ्य को ध्यान में रखना आवश्यक है कि आवेदक अपने उक्त सौर ऊर्जा संयन्त्र के संबंध में सभी आवश्यक औपचारिकताओं एवं वैधानिक आवश्यकताओं को पूर्ण करने हेतु निरंतर प्रयासरत था जिसके लिए आवेदक द्वारा डेडिकेटड फिडर की छूट हेतु याचिका 58 ऑफ 2024 इस आयोग के समक्ष अगस्त 2024 में ही प्रस्तुत कर दी गयी थी परन्तु उक्त याचिका के विचारण एवं निराकरण के प्रक्रिया के दौरान ही आवेदक के सौर ऊर्जा संयन्त्र का ग्रिड के साथ सिंक्रोनाईजेशन संपन्न हो गया एवं उक्त संयन्त्र से उत्पादित ऊर्जा का ग्रिड में प्रविष्टीकरण भी प्रारंभ हो गया था।

यहाँ यह भी विचारणीय है कि उपरोक्त वर्णित विलंब अनावेदकगण द्वारा आवश्यक तकनीकी व्यवहार्यता एवं संबंधित अनुमोदनों की प्रक्रिया पूर्ण करने में देरी करने के कारण हुआ जो कि आवेदक के नियंत्रण के परे था। आवेदक द्वारा उपयुक्त समय पर डेडिकेटेड फिडर की छुट हेतु आयोग के समक्ष प्रस्तुत की

गयी थी परन्तु अनावेदकगण के विलंबित गतिविधियों के कारण याचिका क्रमांक 58 ऑफ 2024 का निराकरण पर्याप्त प्रक्रियात्मक विलंब के बाद हुआ।

(vii) यहाँ, यह भी उल्लेखनीय है कि वस्तुतः विनियम 21.6 (vi) के अनुसार बैंकिग चक्र की समाप्ति पर Unutilized Banked Energy/ Surplus Energy का समापन कर दिया जाता है। तथापि, ऐसे सौर ऊर्जा संयन्त्र जिनके सिंक्रनाईजेशन के उपरांत किसी प्रकार के प्रक्रियात्मक विलंब (Procedural Delay) के कारण Open Access स्वीकृति प्राप्त होने में समय लग जाता है तथा परिणाम स्वरूप संयन्त्र द्वारा उत्पादित ऊर्जा का ग्रिड में प्रविष्टकरण Open Access स्वीकृति से पूर्व ही प्रारंभ हो जाता है, उनके लिए वर्ष 2023 का संशोधन द्वारा विनियम 21.6 (v) के अंतर्गत विशेष राहत प्रदान किया गया है।

उक्त विनियम 21.6 (v) को DRE Regulations 2019 के मूल विनियम 21.6 से शब्दशः अपनाया गया है। उक्त प्रावधान के अंतर्गत सिंक्रनाईजेशन पूर्ण कर चुके सौर ऊर्जा संयन्त्रों को निम्नानुसार राहत प्रदान की गयी है:–

> *"For captive/third party sale, energy injected into the grid from date of synchronization to open access approval date will be considered as deemed energy banked. For the purpose of this provision, the date of synchronization shall be considered as date of commercial operation (CoD)."*

अर्थात कैप्टीव तथा तीसरे पक्ष विक्रय की स्थिति में सिक्रोनाईजेशन दिनांक को ही वाणिज्यिक परिचालन तिथि (Commercial Operation Date (COD) माना जाएगा। फलस्वरूप सिंक्रोनाईजेशन की तिथि से लेकर Open access स्वीकृति की तिथि तक ग्रिड में प्रविश्ट की गयी ऊर्जा को Deemed Banked Energy माना जाएगा तथा वैध बैंकिग ऊर्जा के रूप में मान्यता प्राप्त होगी।

(viii) उक्त सभी विचार बिंदुओ के साथ–साथ प्रक्रियात्मक विलंब (Procedural Delay) के संबंध में भी विचारण करना भी आवश्यक है। इस संबंध में पंजाब शासन बनाम श्यामताल मुरारी AIR 1976 SC 1177 में माननीय न्यायमूर्ति वी.आर.कृष्णा अय्यर द्वारा स्थापित निम्न न्याय दृष्टांत को ध्यान में रखना जरूरी हैः–

"Procedural law is not to be a tyrant but a servant, not an obstruction but an aid to justice."

प्रक्रियात्मक नियमो का मूल उद्देश्य न्याय की प्राप्ति को सुगम बनाना है न कि उसके मार्ग में अवरोध उत्पन्न करना। अतः जहां प्रक्रियागत औपचारिकताओं के प्रति कठोर अनुपालन से अन्याय उत्पन्न होने कि स्थिति बनती है तब न्याय करने वालो का यह दायित्व है कि वे व्यवहारिक दृष्टिकोण अपनाते हुए न्याय के हितो की रक्षा करें। इसी दृष्टिकोण से कार्य करते हुए इस आयोग ने पूर्व में भी याचिका क्र. 60 आफ 2025 में पारित आदेश दिनांक 12.11.2025 में याचिकाकर्ता में कृपाल इंडस्ट्रीज को सिक्रोनाईजेशन दिनांक से ओपन एक्सेस की अनुमति दिनांक तक ग्रिड मे प्रविष्ट की गई ऊर्जा को Carry forwarding के लिए मान्यता देते हुए यह अनुतोष प्रदान किया है :–

"Further, as regards issue relating to carry forward the energy injected into the grid which is banked during August - September, 2025 i.e., Q-II, to the next quarter i.e., Q-III, the Commission agrees that there may be procedural delay in granting open access leading to lapse of banked energy, if the exemption from having dedicated feeder is granted during the transition period from one quarter to next quarter. Therefore, as a special dispensation, the Commission allows banked energy during the Q-II to carry forward to Q-III in this particular case. Such adjustment is

allowed for the one time during the first adjustment after consumer is exempted from having dedicated feeder."

10. अभय पक्षकारो के द्वारा प्रस्तुत अभिवचनो, अभिलेखों एवं तर्को के अवलोकन साथ ही साथ उपरोक्त विश्लेषण के आधार पर हम निम्नानुसार आदेश पारित करते है :

1. आवेदक के सोलर संयंत्र के Synchronization की तिथि से Open access अनुमति प्राप्त होने की तिथि तक अनावेदकगण के ग्रिड में प्रविष्ठ की गयी ऊर्जा को अक्टूबर –दिसंबर 2024 की तिमाही तथा जनवरी –मार्च 2025 की तिमाही के अंतर्गत Banked Units माना जायेगा। तद्नुसार, अक्टूबर–दिसंबर 2024 की तिमाही के दौरान बैंक की गई एवं अप्रयुक्त ऊर्जा को जनवरी–मार्च 2025 की तिमाही में Carry forward किया जाएगा तथा जनवरी–मार्च 2025 की तिमाही के दौरान बैंक की गई एवं अप्रयुक्त ऊर्जा को अप्रैल–जून 2025 की तिमाही में Carry forward किया जाएगा।
2. उपर्युक्त राहत के अतिरिक्त आवेदक किसी अन्य आर्थिक अथवा वित्तीय राहत हेतु पात्र नहीं होगा।

आदेशानुसार।

अजय कुमार सिंह
सदस्य (तकनीकी)

विवेक गनोदवाले
सदस्य (विधि)